कुछ अहम फैसलों पर नजर

राजद्रोह से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद जामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा, पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कालीता को जमानत देने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी इस लिहाज से गौर करने लायक है।

राम वर्मा।।

हाल के कुछ अहम फैसलों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे अदालतें लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा में लगी हुई हैं। राजद्रोह से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद जामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा, पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कालीता को जमानत देने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी इस लिहाज से गौर करने लायक है।

हालांकि मूलतः यह फैसला जमानत पर है, लेकिन अदालत ने इसमें कई ऐसी बातें कही हैं, जो व्यापक प्रभाव वाली हैं। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगाए थे, जिनका कोई ठोस सबूत वह अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई। अदालत को कहना पड़ा कि ऐसा लगता है जैसे असंतोष को दबाने की चिंता में सरकार की आंखों के सामने वह रेखा धुंधली पड़ गई, जो विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को आतंकी गतिविधियों से अलग करती है। ध्यान रखना होगा कि यह मामला तब का है, जब दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए–एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। कुछ ही समय बाद दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक दंगे भड़के। पुलिस ने इन लोगों को दंगे भड़काने की साजिशों में शामिल बताया। केस अभी चल ही रहा है, मगर ताजा फैसले से जो पहलू सबसे महत्वपूर्ण रूप में उभरता है वह है यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के इस्तेमाल का।

चूंकि इस कानून के प्रावधान बहुत ज्यादा सख्त हैं और इसके तहत आरोपी को जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए भी यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसके इस्तेमाल में संजीदगी बरती जाए। अदालत ने ठीक ही कहा कि अगर थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाए कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध को व्यापक रूप देने की कोशिश की तो इससे ये आतंकवादी नहीं हो जाते। लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना सामान्य बात है और अक्सर ये विरोध कानून द्वारा तय किए गए दायरे से आगे भी निकलते रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो संबंधित लोगों पर कानून की वे धाराएं लागू की जानी चाहिए, जो उन मामलों में उपयुक्त हों। आतंकी गतिविधियों से जुड़ी धाराओं का सामान्य मामलों में इस्तेमाल लोकतंत्र में नागरिकों को दिए गए स्पेस को कम करता है। इसीलिए अदालत ने आगाह किया कि अगर ऐसा होता रहा तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल, एक महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली दंगों की जांच का भी है।

चूंकि पुलिस की साजिश की थिअरी न्यायिक समीक्षा में ठहर नहीं पा रही, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि वह दंगों की अपनी अब तक की जांच पर फिर से गौर करके उसकी कमियों को दूर करे। इस सवाल का सबूतों पर आधारित ठोस जवाब मिलना ही चाहिए कि राजधानी को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने वाले आखिर कौन थे।

दीक्षा

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

अपंग, महिला, विद्यार्थी, संन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा–सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय और अग्निचयन का वर्णण यजुर्वेद में मिलता है। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीनकाल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता–पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिन्दू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म। दूसरा व्यक्तित्व। सिख धर्म में इसे अमृत संचार कहते हैं।

संपादकीय

मिट्टी के मोल संपत्ति

कोई नहीं जानता कि छह लाख करोड़ जुटाने के लिए सरकारी संसाधन जब लीज पर दिए जाएंगे तो यह लीज कितने साल की होगी। निश्चित रूप से यह अवधि काफी लंबी होगी क्योंकि ये संसाधन किसी प्राइवेट पार्टी को अभी की हालत में अतिरिक्त पैसे नहीं देने वाले। इन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसे इनके इर्दगिर्द कुछ और ढांचे खड़े करने होंगे। मसलन, एक टोलदार सड़क से अतिरिक्त कमाई करने के लिए सड़क किनारे की जगहों का बेहतर उपयोग करना होगा– जैसे उन्हें ढाबों और मनोरंजन की जगहों के लिए सब–लीज पर देना। लेकिन ऐसे काम लंबी लीज की मांग करते हैं। सरकारें संसाधनों का मालिकाना अपने हाथ में बने रहने की बात जरूर करती हैं लेकिन यह एक हवा–हवाई मामला ही हुआ करता है। एक जमीन को 99 साल की लीज पर देने के बाद उस पर अपने मालिकाने की बात आप पांच पीढ़ी आगे के लिए कर रहे होते हैं, जब दुनिया कुछ की कुछ हो चुकी होगी। यहां सौदे को आकर्षक बनाने के लिए सरकार के पास अकेला रास्ता उसे सस्ते से सस्ता रखने का है। मसलन, 2.86 लाख किलोमीटर लंबे देशव्यापी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की लीज से 26,300 करोड़ आने की उम्मीद की गई है। यह रकम 9 लाख रुपये प्रति किलोमीटर से भी कम पड़ रही है, जो एक तरह से अपनी संपत्ति को मिट्टी के मोल निकाल देने जैसा ही है। देखें, कितना पैसा इससे जुटता है, कितनी नौकरियों की भरपाई हो पाती है।

एनएमपी का सीधा संबंध पिछले साल घोषित नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) से है। एनआईपी सौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की एक बृहद इन्फ्रास्ट्रचर योजना है, जिसको अभी 111 लाख करोड़ रुपये की बताया जा रहा है।

क्या पैसा आएगा?

चंद्रभूषण।।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी संसाधनों को लीज पर देकर अगले चार वर्षों में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की है। नैशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) नाम की यह योजना इसी साल लाने की बात उन्होंने इस बार के अपने बजट भाषण में कही थी। एनएमपी का सीधा संबंध पिछले साल घोषित नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) से है। एनआईपी सौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की एक बृहद इन्फ्रास्ट्रचर योजना है, जिसको अभी 111 लाख करोड़ रुपये की बताया जा रहा है। दरअसल, मोदी सरकार बहुत बड़े आंकड़ों के जरिये दुनिया को यह संकेत देना चाहती है कि भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर कुछ वैसा ही घटित हो रहा है, जैसा 1930 के दशक में अमेरिका में हुआ था, या फिर पिछले तीसेक वर्षों में चीन में हुआ है।

इसके लिए 100 करोड़ रुपये से ऊपर की 7320 ढांचागत परियोजनाओं को एक ही सूची में डाल दिया गया है और इनको अमल में उतारने का काम केंद्र सरकार (39 प्रतिशत), राज्य सरकारों (40 प्रतिशत) और प्राइवेट सेक्टर (21 प्रतिशत) को मिलकर करना है। नैशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन इसी के लिए पैसा जुटाने की एक कवायद है। यह योजना अभी घोषित तो हो गई है लेकिन इससे पैसे कितने आएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एनआईपी के लिए सरकारी धन एनएमपी के अलावा सरकारी खजाने और विनिवेश से आना है। इसमें सरकारी खजाने का भरना या खाली रहना अर्थव्यवस्था की गति और उससे होने वाले टैक्सेशन पर निर्भर करता है। लेकिन एनएमपी और विनिवेश से, यानी सरकारी परिसंपत्तियों को निजी उपयोग के लिए देने पर आने वाले पैसों को लेकर कुछ समझ बनानी हो तो पिछले साल के एक आंकड़े पर गौर कर सकते हैं।

सन 2020 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने विनिवेश के जरिये अगले (अभी पिछले) वित्त वर्ष में 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की थी। लेकिन वास्तव में खींच–तानकर यह रकम 19,499 करोड़ रुपये तक पहुंच पाई, जो लक्ष्य का बमुश्किल 9 फीसदी था। इस हकीकत को ध्यान में रखकर ही मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश का लक्ष्य 1 लाख 75 हजार करोड़ रखा गया। हालात तब से अब तक कुछ सुधरे जरूर हैं, पर इतने नहीं कि इस वित्त वर्ष के बचे हुए सात महीनों में एनएमपी के मद में 88 हजार करोड़ रुपये और जुटाए जा सकें। तो एक मामला नैशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन से जुड़े लक्ष्यों के यथार्थपरक होने से जुड़ा है। लेकिन लोगों में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि सरकार इतने लंबे समय में खड़े किए गए महत्वपूर्ण संसाधनों को औने–पौने किसी को भी बेच देने पर आमादा है। विनिवेश के मामले में ऐसा हमने बार–बार होते देखा है। मोदी सरकार इस किस्से को ज्यादा तूल न पकड़ने देने को लेकर सतर्क है लिहाजा वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि एनएमपी में ब्राउनफील्ड यानी पहले से खड़े संसाधन प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिए जाएंगे। उन्हें बेचा नहीं जाएगा, उनका स्वामित्व सरकार के ही पास बना रहेगा।

ये संसाधन कौन से हैं? सबसे ज्यादा सड़कें (कुल संभावित रकम का 27 प्रतिशत), फिर रेलवे (25 प्रतिशत), बिजली (15 प्रतिशत), तेल और गैस पाइपलाइनें (8 प्रतिशत) और टेलिकॉम (6 प्रतिशत)। बचे 19 प्रतिशत में हवाई अड्डे, बंदरगाह, गोदाम और स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह शामिल हैं।

सूडोकू नवताल-5315

★★★★☆ मध्यम

		8				1	5	
2					1	8		
3			4		6	7		9
5					9			
	9		2	3	4		7	
			1					8
4		7	6		5			1
		6	7					4
	5	3				2		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकू नवताल -5314 का हल

3	9	7	5	2	1	4	8	6
5	4	2	9	6	8	7	1	3
8	6	1	3	7	4	9	5	2
2	8	9	1	5	3	6	4	7
4	7	3	2	8	6	5	9	1
6	1	5	4	9	7	2	3	8
9	3	4	7	1	2	8	6	5
7	5	6	8	3	9	1	2	4
1	2	8	6	4	5	3	7	9

अपना ब्लॉग

बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर की शर्तों से बंधा हुआ

मोहन। ध्यान रहे, इन ढांचागत संसाधनों का काफी बड़ा हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर की शर्तों से बंधा हुआ है। ऐसे मामलों में तो कोई लीज भी नहीं है फिर भी सारा कुछ बिल्ड–ऑपरेट में उलझा रह जाता है, ट्रांसफर की नौबत ही नहीं आती। एक छोटा सा उदाहरण दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले एक पुल का ले लें। इसे बनाने वाली कंपनी ने अपनी लागत और मुनाफा काफी पहले निकाल लिया, फिर नोएडा टोलब्रिज नाम से शेयर बाजारों में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। सड़क और पुल का मालिकाना सौंपने की बात यूपी सरकार की ओर से ही आ सकती थी, लेकिन कंपनी ने उसी को मैनेज कर लिया था। साल दर साल उसकी टोल वसूली चलती जा रही थी। हारकर कुछ नागरिक मामले को अदालत में ले गए तो वहां भी मुकदमा लंबा खिंचने लगा। फिर एक दिन फैसला आ गया कि कंपनी अपनी वसूली पूरी कर चुकी है, अब वह अपना टोल हटा ले। उसके बाद भी कुछ समय तक टोल चलता रहा। फिर लोगों ने जमा होकर उसे हटवाया तो बात बनी।